



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062026-273940
CG-DL-E-30062026-273940

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2026/ आषाढ 9, 1948

No. 476]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

सं. 22/2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 528 (अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2026-सीमाशुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2026, जिसे सा.का.नि. 246(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2026, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, अंकों और शब्द "30 जून, 2026" के स्थान पर अंकों और शब्द "15 जुलाई, 2026" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/1/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2026-सीमाशुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2026, को सा.का.नि. 246(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2026, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department Of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

No. 22/2026-Customs

G.S.R. 528(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2026-Customs, dated the 1st April, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 246(E), dated the 1st April, 2026, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for the figures and word “30th June, 2026”, the figures and word “15th July, 2026” shall be substituted.

[F. No. 354/1/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 12/2026-Customs, dated the 1st April, 2026, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 246(E), dated the 1st April, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

सं. 23/2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 529 (अ). —सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) तथा वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2026-सीमाशुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2026, जिसे सा.का.नि. 247(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2026, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, अंकों और शब्द “30 जून, 2026” के स्थान पर अंकों और शब्द “15 जुलाई, 2026” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/1/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: - प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2026-सीमाशुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2026, को सा.का.नि. 247(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2026, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

No. 23/2026-Customs

G.S.R. 529.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 13/2026-Customs, dated the 1st April, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 247(E), dated the 1st April, 2026, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for the figures and word “30th June, 2026”, the figures and word “15th July, 2026” shall be substituted.

[F. No. 354/1/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 13/2026-Customs, dated the 1st April, 2026, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 247(E), dated the 1st April,